


राजस्थान सरकार  
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/e-GRAS/ 2867-2925 दिनांक 19.12.2014

परिपत्र

वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.12.2013 को वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.12.2013 द्वारा संशोधित कर राजकीय मदों में जमा होने वाला राजस्व जो कैश, डी.डी. या बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराया जाता है, के संबंध में निर्देश जारी किए गये थे, इस संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।


“राजकीय मदों में जमा होने वाला राजस्व जो कैश, डी.डी. या बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराया जाता है, से संबंधित सभी राजकीय विभागों के राशि ₹ 100/- से अधिक समस्त चालान दिनांक 01.06.2014 से अनिवार्य रूप से ई-ग्रास से ही जनरेट किये जायें एवं तदनुसार ही बैंक द्वारा स्वीकार किए जायें। राजस्व जमाकर्ताओं हेतु राशि ₹ 100/- एवं इससे कम के चालान भी ई-ग्रास के माध्यम से जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।”



(सिद्धार्थ महाजन)  
विशिष्ट शासन सचिव  
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. निजि सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) सचिवालय, जयपुर
5. विभागाध्यक्ष समस्त
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, सचिवालय जयपुर को समस्त राजस्व विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु
7. कोषाधिकारी समस्त
8. ई-कोषाधिकारी, ई-कोषालय, जयपुर
9. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी., जयपुर
10. मुख्य प्रबन्धक, (सरकारी लेखा) एस.बी.बी.जे., तिलक मार्ग, जयपुर।
11. उपमहाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
13. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
14. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
15. उप महाप्रबन्धक, यू.को बैंक, आर्कड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।
16. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यू.पी.एस.सी. नई बिल्डिंग, महाराष्ट्रा, नई दिल्ली।
17. संयुक्त निदेशक, (सिस्टम एनालिस्ट) वित्त विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
18. उपमहाप्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक, एल.आई.सी. बिल्डिंग, जयपुर
19. उपमहाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लालकोठी सब्जी मण्डी, जयपुर



संयुक्त शासन सचिव


कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज, 'कर भवन' अजमेर

क्रमांक :- एफ-1 (67) (5) लेखा/बजट/आय/2013-14/341-357

दिनांक 17/06/2014

सभी राजकीय विभागों के राशि ₹ 100/- से अधिक समस्त चालान दिनांक 01.06.2014 से अनिवार्य रूप से ई-ग्रास से जनरेट कर जमा कराने के क्रम में वित्त (आर्थिक मामलाल) विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-5 (थ-75) कोष/IFMS/e-GRAS/2867-2925 दिनांक 19.05.2014 की प्रति निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वृत्ताधिकारी वृत्त के अधीन समस्त उप पंजीयक व पदेन उप पंजीयक कार्यालयों को भी इसी अनुसार सूचित करावें।

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त कलक्टर (मुं.), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कलैक्ट्रेट परिसर, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुं.), वृत्त-जयपुर (द्वितीय)/जयपुर (सतर्कता), कलैक्ट्रेट परिसर, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुं.), वृत्त-अजमेर/अलवर /भरतपुर /भीलवाडा /बीकानेर/ हनुमानगढ़/ जोधपुर/ पाली/ कोटा/ उदयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, बिल/कम्प्युटर/आय शाखा, मुख्यालय अजमेर।

  
वित्तीय सलाहकार,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर।